

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2018 — पौष 7, शक 1940

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-64/2009/29-1(3). — छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 29 उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,—

अनुसूची—एक में, टीप (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(1) *काले चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित एवं माडा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय परिवारों तथा प्राथमिकता वाले परिवारों के लिये विस्तारित होगी”

No. F 10-64/2009/29-1(3). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby, makes the following amendment in the said Act, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said Act,-

In Schedule-I, for Note (1), the following shall be substituted, namely :-

“(1) *Black gram entitlement shall extend to all antyodaya households and priority households residing in Scheduled and MADA areas of the State.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.